मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/3/9/1/3/2005 भोपाल, दिनांक 30 अगस्त, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषयः म0प्र0 के स्थानीय निवासी की परिभाषा का निर्धारण।

सन्दर्भः सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक 381–2417/1/3/74 दिनांक 11.6.75, क्रं0 501/1386/1/3/75 दिनांक 25.7.75, क्रं0 489/2250/1/3/77 दिनांक 24.11.77 क्रं0 सी 3–30/83/3/1 दिनांक 1.10.83, क्रं0 सी/3–17/87/3/1 दिनांक 18.8.87, क्रं0 3–22/88/3/49 दिनांक9.9.88, क्रं. 17/392/49/3/88 दिनांक 12.1.89, क्रं0 618/352/49/3/89 दिनांक 11.10.89 क्रं0 सी 3–3/93/3/1 दिनांक 12.2.93, क्रं0 सी 3–23/95/3/1 दिनांक 15.12.95, क्रं0 सी 3–18/03/3/1 दिनांक 6.10.2003, क्रं0 सी 3–9/05/3/1 दिनांक 5. 11.2005, क्रं0 सी 3–9/2005/3/1 दिनांक 21.11.2005।

––00––

राज्य शासन एतद् व्दारा संदर्भित परिपत्रों को निरस्त करते हुए म0प्र0 के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिए निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित करता है :–

1.1 वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो,

अथवा

1.2 वह, अथवा उसके पालको में से कोई, अथवा उसके पालकों में से कोई जीवित न हो तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) मध्यप्रदेश में कम से कम 15वर्ष से निरंतर रह रहा हो,

अथवा

1.3 उसके पालको में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी हो,

अथवा

1.4 केन्द्रीय शासन का मध्यप्रदेश में सेवारत कर्मचारी हो,

अथवा

1.5 वह स्वयं/उसके पालक का राज्य में पिछले पांच वर्षो से अचल संपत्ति/उद्योग/ व्यवसाय हो ।

एवं

2. उपरोक्त शर्तो के साथ वह निम्नलिखित अतिरिक्त शर्त की पूर्ति करते हो :–

2.1 उसने मध्यप्रदेश राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे जिले जो वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य के अन्तर्गत आते हैं, में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो,

Scanned with OKEN Scanner

अथवा

2.2 उसने मध्यप्रदेश राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे जिले जो वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य के अन्तर्गत आते हैं, से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की हो :—

2.2.1 यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा, अथवा

2.2.2 यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी बोर्ड की इन्टरमीजिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो 8वीं कक्षा की परीक्षा, अथवा

2.2.3 अन्य मामलों में पांचवी की परीक्षा।

3. परन्तु उपरोक्तानुसार बिन्दु क्र0—2 की मध्य प्रदेश से शिक्षा संबंधी अतिरिक्त शर्ते निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होगीः—

3.1 ऐसे आवेदक जो अंध, मूक, बधिर हैं, यदि अन्य प्रदेश से शिक्षा ग्रहण करते हैं।

3.2 शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले सेना के अधिकारी/कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिक यदि सैनिक सेवा के कारण मध्यप्रदेश में पदस्थ नहीं हो सका हो तो उसकी संतान व्दारा म0प्र0 से बाहर शिक्षा ग्रहण करने पर।

3.3 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के लिए निर्धारित उपरोक्त शर्त क्र0 1.2 की पूर्ति करने पर —

3.3.1 अशिक्षित व्यक्ति अथवा

3.3.2 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति की संतान यदि मध्यप्रदेश के बाहर की शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा ग्रहण करते हैं।

4. निम्नलिखित प्रवर्ग भी मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी होंगेः—

4.1 अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश को आवंटित अधिकारियों की संतान एवं उनकी पत्नी/पति।

4.2 शासन व्दारा वर्तमान में निर्धारित मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की पत्नी/पति।

4.3 मध्यप्रदेश में संवैधानिक या विधिक पदों पर महामहिम राष्ट्रपति/राज्यपाल व्दारा नियुक्त व्यक्तियों की संतान एवं उनकी पत्नी/पति।

5. स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदक नायब तहसीलदार या उससे ऊपर के राजस्व अधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। संबंधित अधिकारी आवदेक व्दारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों एवं अन्य अभिलेखों के सत्यापन करने के बाद प्रकरण का परीक्षण कर पात्रता होने पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्रदाय किया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु वर्तमान में मूल निवासी, वास्तविक निवासी आदि शब्दों का उपयोग किया जाता है। अब भविष्य में केवल **''स्थानीय निवासी''** शब्द का ही उपयोग किया जाए।

7. मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी के निर्देश एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप विभागीय बेबसाईट http://www.mp.nic.in/gad/ के तहत नियम एवं निर्देश में भी उपलब्ध होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेन्द्र शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र. सी–3/9/1/3/2006 भोपाल, दिनांक 30 अगस्त, 2006

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र., जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र., भोपाल
3. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र., भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र., भोपाल
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र., भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र., भोपाल
10. सचिव, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र.उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर /जबलपुर
13. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा.प्र.वि., मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल
18. अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with OKEN Scanner

प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय का नाम

क्रमांक .... **दिनांक.................................**

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी... .... आत्मज/आत्मजा/पति ....निवासी ....जिला ...., राज्य शासन व्दारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी के लिए निर्धारित मापदण्ड की निम्न कंडिका क्रं0.............. एवं क्रं0 .... पूर्ण करने के कारण मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी है।

हस्ताक्षर, पदनाम एवं मुद्रा

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी के मापदण्ड

1.1 वह मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है; **अथवा**

1.2 वह स्वयं अथवा उसका पालक/वैद्य अभिभावक मध्य प्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर रह रहा है; **अथवा,**

1.3 उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी है; **अथवा**

1.4 उसके पालकों में से कोई मध्य प्रदेश में सेवारत केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है; **अथवा,**

1.5 वह स्वयं/उसके पालक का राज्य में पिछले पांच वर्षों से अचल संपत्ति/उद्योग/व्यवसाय है; **एवं**

2. इसके अतिरिक्त :-

2.1 उसने मध्यप्रदेश राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे जिले जो वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य के अन्तर्गत आते हैं, में स्थित शिक्षण संस्था से कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है ; **अथवा**

2.2 यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिए या शासन के अधीन सेवा के लिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा **या** 8 वीं कक्षा की परीक्षा, एवं यदि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी बोर्ड की इन्टरमीजिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो 8वीं कक्षा की परीक्षा, **अथवा**

2.3 अन्य मामलों में पांचवी की परीक्षा उत्तीर्ण की है।

3. परंतु उपरोक्त शर्त क्रमांक 2.1 से 2.3 मध्य प्रदेश से शिक्षा संबंधी शर्त निम्न परिस्थिति होने के कारण लागू नहीं है :-

3.1 वह अंध/मूक/बधिर है एवं उसके द्वारा प्रदेश के बाहर से शिक्षा ग्रहण की है, **अथवा**

3.2 वह ऐसे व्यक्ति की संतान है जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आता है एवं सैनिक सेवा के कारण मध्य प्रदेश के बाहर पदस्थ रहा है, **अथवा**

3.3 वह मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हेतु निर्धारित उपरोक्त शर्त क्रमांक 1.2 की पूर्ति करते हैं ; **एवं**

Scanned with OKEN Scanner

3.3.1 वह अशिक्षित हैं, **अथवा**

3.3.2 मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की संतान हैं एवं उनके द्वारा मध्य प्रदेश के बाहर शिक्षा ग्रहण की है।

4. वह निम्नलिखित प्रवर्ग का होने के कारण मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी है :–

4.1 मध्य प्रदेश को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियो / कर्मचारियों की संतान / पत्नी / पति हैं ; **अथवा,**

4.2 मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी का मापदण्ड पूरा करने वालों की पत्नी / पति हैं ; **अथवा,**

4.3 मध्य प्रदेश में संवैद्यानिक या विधिक पदों पर महामहिम राष्ट्रपति / राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की संतान / पत्नी / पति हैं।

Scanned with OKEN Scanner